रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228760
CG-DL-E-05082021-228760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2913] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
No. 2913] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SRAVANA 14, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.आ. 3139(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा, 'रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जैसा इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, सरकार द्वारा रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस प्राधिकरण को होने वाली आय के संबंध में उक्त खण्ड प्रयोजन के लिए एक 'प्राधिकार के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है:-

(क) भारत सरकार से अनुदान अथवा ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डर/डिवेलपर, एजेंट या किसी अन्य हितधारक से प्राप्त फीस/दण्ड; तथा

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला-

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा;

(घ) सनदी लेखाकार से एक प्रमाण पत्र सहित कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रावधानित लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना निम्न स्तम्भ (2) में उल्लिखित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के लिए निम्न स्तम्भ(4) में उल्लिखित निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

अनुसूची

क्रम सं.	**रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का नाम**	**पैन**	**वित्तीय वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, शिमला	एएएजीआर1176एफ	2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025

[अधिसूचना सं. 86 /2021 फा. सं. 300196/11/2020-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को पिछले प्रभाव से लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।